

हरियाणा सरकार ने योजना पर आयु प्रतर्बिंध हटाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषिकार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषिश्रमकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी।

मुख्य बढि:

- सरकार ने किसानों, कृषिश्रमकों और मंडी यार्ड मज़दूरों के लिये 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत आयु प्रतर्बिंध को समाप्त करने का नरिणय लिया है।
- इस योजना के तहत **किसानों, कृषिमज़दूरों और मंडी यार्ड मज़दूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- पूर्व नयिम के अनुसार, इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- अब, **10 वर्ष से कम उमर के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उमर के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।**